

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II —खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 289] नई दिल्ली, शुक्रवार, विसं० 1, 1972/अग्रहायण 10, 1894

No. 289] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 1, 1972/AGRAHAYANA 10, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATIONS

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 1st December 1972

G.S.R. 476(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 158/72-Central Excises, dated the 1st July, 1972, the Central Government hereby exempts sugar falling under sub-item (1) of Item No. 1 of the First Schedule to the Central Excises and salt Act, 1944 (1 of 1944) and required by the Central Government to be sold under clause (f) of sub-section (2) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), from so much of the duty of excise and the additional duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty and the additional duty calculated at twenty per cent and six per cent, respectively, on the basis of the price determined by the Central Government, from time to time, under sub-section (3C) of section 3 of the said Essential Commodities Act, as the price payable for such sugar to the producer thereof:

Provided that the element of the duty and the additional duty, if any, added to the price aforesaid shall be deducted before calculating the duty and the additional duty on the basis of such price.

[No. 222/72.]

वित्त मन्त्रालय
(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचनाएं

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 1972.

सा० का० नि० 476(अ).—अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना संख्या 158/72 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 1 जुलाई 1972 की अधिश्रान्त करते हुए केन्द्रीय सरकार, उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 1 की उपमद संख्या (1) के अन्तर्गत आने वाली ऐसी चीनी को जिसे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा 2के खण्ड(च) के आधीन बेचा जाना केन्द्रीय सरकार द्वारा अपेक्षित है उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से एतद्वारा छूट देती है जितना उक्त आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3ग) के आधीन ऐसी चीनी के निर्माता को उस चीनी के लिए देय कीमत के रूप में केन्द्रीय सरकार के द्वारा समय समय पर अवधारित कीमत के आधार पर क्रमशः बीस प्रतिशत और छह प्रतिशत पर प्रगणित शुल्क और अतिरिक्त शुल्क से अधिक है।

परन्तु ऐसी कीमत के आधार पर शुल्क और अतिरिक्त शुल्क की गणना करने से पूर्व शुल्क और अतिरिक्त शुल्क की रकम यदि कोई हो, जो पूर्वोक्त कीमत में जोड़ी गई हो घटा दी जाएगी।

[सं० 222/72ट]

G.S.R. 477(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 197/72-Central Excises, dated the 1st September, 1972, the Central Government hereby fixes a tariff value of two hundred and seventy five rupees per quintal for sugar falling under sub-item (1) of Item No. 1 of the First Schedule to the said Act and chargeable with duty *ad valorem*.

Provided that nothing contained in this notification shall apply to sugar required by the Central Government to be sold under clause (f) of sub-section (2) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955).

[No. 223/72]

S. R. NARAYANAN, under Secy.

सा० का० नि० 477(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की तारीख 1 सितम्बर, 1972 की अधिसूचना संख्या 197/72 के० उ० शु० को प्रतिष्ठित करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की

प्रथम अनुसूची की मद संख्या 1 की उपमद संख्या (1) के अन्तर्गत आने वाली और मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य चीनी के लिए दो सौ पञ्चहत्तर रुपए प्रति क्विन्टल टैरिफ एतद्द्वारा नियत करती है।

परन्तु इस अधिसूचना में अन्तर्बिष्ट कोई भी बात केन्द्रीय सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन बिक्री की जाने के लिए अपेक्षित चीनी पर लागू नहीं होगी।

[संख्या 223/72]

एस० आर० नारायणन, अवसर सचिव ।

